दिनांक–31.10.2025 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे से सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में VC के माध्यम से आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– VC के माध्यम से।

समीक्षा के क्रम में VC के माध्यम से जिलों के सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिए गएं :–

1. <u>समाहरण :–</u>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी जिलों के लिए कुल निर्धारित लक्ष्य 4756.73 करोड़ रू0 के विरूद्ध माह सितम्बर तक मात्र 862.64 करोड़ रू0 का समाहरण किया गया है, जो कि काफी कम है। कतिपय जिलों यथा–मुंगेर, सारण, जहानाबाद, शिवहर, रोहतास, जमुई, गया, पटना, नालन्दा, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, सिवान, बेगूसराय, सीतामढी, वैशाली, कैमूर, कटिहार एवं भागलपुर के द्वारा सितम्बर, 2025 तक निर्धारित लक्ष्य का 20 प्रतिशत की प्राप्ति नहीं की गई है, जो कि अत्यंत ही खेदजनक है। इस संबंध में संबंधित जिलों के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

जिन जिलों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कम वसूली की गई है उन्हें सख्त निदेश दिया गया कि निर्धारित माहवार संशोधित लक्ष्य के अनुरूप समाहरण हेतु कार्य योजना बनाकर आगामी माह के 15.11.2025 को होने वाली बैठक के पूर्व लक्ष्य की प्राप्ति हर हालत में सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

2. <u>बालू मद में समाहरण :–</u>

बालू मद में कुल समाहरण लक्ष्य 2556.58 करोड़ रू0 के विरूद्ध माह सितम्बर 2025 तक मात्र 538.28 करोड़ रू0 ही समाहरण हुआ है, जो बालू मद के लक्ष्य का मात्र 21.05 प्रतिशत है। कतिपय जिलों यथा–भागलपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, बेतिया, जमुई, औरंगाबाद, गया एवं पटना जिला के द्वारा सितम्बर, 2025 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गई है, जो अत्यंत ही खेदजनक है। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

जिन जिलों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कम वसूली की गई है, उन्हें सख्त निदेश दिया गया है कि निर्धारित लक्ष्य के समाहरण हेतु कार्य योजना बनाकर आगामी होने वाली बैठक के पूर्व लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. <u>कार्य विभाग मद में समाहरण :–</u>

बालू मद में कुल समाहरण लक्ष्य 1263.51 करोड़ रू0 के विरूद्ध माह सितम्बर 2025 तक मात्र 249.23 करोड़ रू0 ही समाहरण हुआ है, जो बालू मद के लक्ष्य का मात्र 19.72 प्रतिशत है। अधिकांश जिलों यथा :– पटना, गया, सारण, जहानाबाद, रोहतास, नवादा, अरवल, शिवहर, मुंगेर, नालन्दा, जमुई, बेगूसराय, मधुबनी, लखीसराय, शेखपुरा एवं कटिहार द्वारा कार्य विभाग मद में काफी कम समाहरण किया गया है, जो कि काफी खेदजनक है। सभी जिलों को निदेश दिया गया कि 15.11.2025 के पूर्व अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर लें।

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सख्त निदेश दिया गया कि अपने जिले में अवस्थित सभी कार्य विभाग यथाः– ग्रामणी कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, NHAI, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पुलिस भवन निर्माण विभाग लि0, शिक्षा अवरसंरचना लि0 (BSEIDCL), मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (BSMICL), एवं अन्य विभागों के तीन महत्वपूर्ण परियोजना का निरीक्षण करेंगे एवं 15 तारीख से पूर्व कार्य परियोजना में अनियमितता बरतने वाले संवेदकों पर नियमानुसार कार्रवाई कर रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस जमा करायें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

---

4. <u>दण्ड मद में समाहरण :–</u>

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह सितम्बर, 2025 तक दण्ड मद में निर्धारित लक्ष्य 77359.36 लाख रू0 के विरूद्ध मात्र कुलं 3882.15 लाख रू0 की प्राप्ति हुई है।

दण्ड मद में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु निम्न निदेश दिये गयेः–

(i) पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित क्षेत्र के बाहर/अधिक गहराई पर खनन करने के संबंध में सभी बालूघाटों पर सघन जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(ii) अनीलामित बालूघाटों पर अवैध उत्खनन का सघन जाँच की जाय एवं संलिप्त अवैधकर्त्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनसे निमयानुसार दण्ड की वसूली की जाय।

(iii) प्रत्यार्पित किये गये बालूघाट के बन्दोबस्तधारी के अन्य बालूघाट/अनुज्ञप्ति स्थल पर सघन जाँच की जाय।

(iv). वैसे वाहन जिनके मालिक/प्रतिनिधि द्वारा ससमय दण्ड की राशि जमा नहीं की गयी है, ऐसे मामलों में समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर वाहनों का अविलम्ब अधिहरण, राज्यसात एवं नीलामी की कार्रवाई की जाय।

(v) जिलान्तर्गत शेष भंडारित जप्त बालू की अविलम्ब नीलामी करायी जाय।

(vi) खान निरीक्षकों को प्रतिदिन क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध छापेमारी हेतु निदेशित करें एवं इसकी समीक्षा करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

5. <u>बालूघाटों की नीलामी की स्थिति :–</u>

(i) बिहार राज्यान्तर्गत विभिन्न जिले यथा– पूर्णियाँ, वैशाली, सारण, गोपालगंज, सुपौल के खान निरीक्षकों को अनीलामित बालूघाटों की सघन जाँच की जाय एवं सख्त निगरानी रखी जाये तथा व्यक्तिगत रूचि लेकर बालूघाटों की नीलामी कराने का निदेश दिया गया।

(ii) बिहार राज्यान्तर्गत सभी जिले विशेष रूप से पीले बालूघाट के जिलों में प्रत्यार्पित एवं अनीलामित बालूघाटों के नीलामी हेतु अविलम्ब निविदा प्रकाशित की जाय।

(iii) नीलामित बालूघाटों के वैधानिक प्रक्रिया की समय–सीमा का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कियॉ जाय एवं ऐसे बालूघाट जिनका पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत है, उन बालूघाटों का CTE/CTO प्राप्त करने हेतु संबंधित बंदोबस्तधारी को निदेशित करें एवं नियमानुसार किस्त की राशि जमा कराकर यथाशीघ्र संचालन प्रारंभ कराया जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

6. <u>प्रत्यार्पित बालूघाट :–</u>

जिलान्तर्गत कुल प्रत्यार्पित बालूघाटों की संख्या–47 है। कुल 47 बालूघाटों में से मात्र 05 बालूघाटों की नीलामी हुई है। शेष बालूघाटों की नीलामी आदर्श आचार संहित के प्रावधानों के दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 15.11.2025 तक कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

7. <u>वृहत खनिज ब्लॉक के संबंध में समीक्षा :–</u>

समीक्षा के क्रम में रोहतास, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, भागलपुर, जमुई जिले के सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकरी को निदेश दिया गया कि जिन वृहत खनिज ब्लॉक की नीलामी हो गई है, उन ब्लॉक्स के लिए रियायतग्रही द्वारा विभिन्न वैधानिक अनापत्ति में निहित शर्त्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा की जाय एवं संचालित वृहत खनिज ब्लॉक्स के उत्पादन एवं प्रेषण की सतत जाँच की जाय।

<u>अन्य बिन्दु :–</u>

(i) . अनाधिकृत रूप से अवैध कैपिंग जोड़ने के संबंध में जिन जिलों के अनुज्ञप्तिधारी पर कार्रवाई की गयी है, उस अनुज्ञप्तिधारी के स्थल पर भंडारित खनिज का जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(ii) जिला खनन कार्यालयों में लिपिक द्वारा बालूघाटों के बंदोबस्तधारी को ससमय किस्त के लिए नोटिस निर्गत किया जा रहा है कि नहीं, इसकी समीक्षा की जाय।

(iii) अगले बैठक में जिला खनन कार्यालय में पदस्थापित सभी कर्मचारियों के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया जाय।

(iv) दूसरे राज्यों के सीमावर्ती जिलों द्वारा संघन रूप से वाहन जाँच का अभियान चलाया जाय एवं अनियमितता पाये जाने के क्रम में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(v) समीक्षा के क्रम में सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक को निदेश दिया गया कि 15.11.2025 को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(अनुपालन :—सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/—
(दिवेश सेहरा)
सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक :— 6034 /एम0, पटना, दिनांक :— 05/11/25

प्रतिलिपि :— माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आरोप शाखा/राजपत्रित शाखा/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/11/25
निदेशक, खान